



कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र -I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001


1245

सं०.एल०ए०/एस०एस०-1/श०स्था०नि०/

दिनांक-

3212
16 सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद् गोपालगंज
जिला- गोपालगंज



महाशय,

नगर परिषद् गोपालगंज के वर्ष 2013-14 से प्रेषित तिथि 5 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं० 1188/15-16 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त साक्ष्य सहित तैयार कर प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

- ६० -

(विश्वम्भर कुमार)

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

2140

सं०-एल०ए०/एस.एस.-1/श०स्था०नि०/14542/363

दिनांक- 25.02.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, गोपालगंज

25/2/16

(विश्वम्भर कुमार)

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श०स्था०नि०/सामाजिक प्रक्षेत्र-1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

नगर परिषद, गोपालगंज
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-1188/15-16
(अवधि- 2013-14 से 2014-15)

भाग - I

प्रस्तावना

| | | |
|-----|---|--|
| 1. | निरीक्षित कार्यालय का नाम | नगर परिषद, गोपालगंज |
| 2. | लेखा वर्ष | 2013-14 से 2014-15 |
| 3. | अंकेक्षण अवधि | 30.07.2015 से 12.08.2015 |
| 4. | लेखापरीक्षा का परिक्षेत्र- | परिशिष्ट-I और II पर संलग्न |
| 5. | लेखा परीक्षा दल के सदस्य | 1. श्री बलराम मिश्रा, स0ले0प0अ0 2. श्री राजकिशोर कुमार, व0लेखा परीक्षक |
| 6. | निरीक्षण पदाधिकारी का नाम | श्री राकेश खन्ना, व0ले0प0अ0 |
| 7. | कार्यालय प्रधान का नाम | श्री मनोज कुमार पवन |
| 8. | क्या कार्यालय प्रधान के साथ विचार-विमर्श हुआ | कार्यपालक पदाधिकारी के साथ दिनांक 12.08.2015 को विचार-विमर्श किया गया। किसी भी आपत्ति का जवाब नहीं दिया गया और न ही किसी भी मूल ज्ञापांक को वापस लौटाया गया। |
| 9. | लेखा परीक्षा में प्रस्तुत अभिलेख | परिशिष्ट- I |
| 10. | लेखा परीक्षा में अप्रस्तुत अभिलेख | परिशिष्ट- II |
| 11. | लेखा परीक्षा के अंतर्गत महत्वपूर्ण उपलब्धियां | परिशिष्ट- VII |

दावा अस्वीकरण प्रमाण-पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई /कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

12. प्रशासन

| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | पद का नाम | अवधि | |
|---------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | श्री मनोज कुमार पवन | कार्यपालक पदाधिकारी | 01.04.2013 | 31.03.2015 |

| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | पद का नाम | अवधि | |
|---------|-----------------------|-----------|------------|------------|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | श्रीमती रूक्मिणी देवी | अध्यक्ष | 01.04.2013 | 05.12.2014 |
| 2 | श्रीमती संजु देवी | अध्यक्ष | 06.12.2014 | 31.03.2015 |

| क्र०सं० | पदाधिकारी का नाम | पद का नाम | अवधि | |
|---------|-------------------|-----------|------------|------------|
| | | | कब से | कब तक |
| 1 | श्रीमती संजु देवी | उपाध्यक्ष | 01.04.2013 | 05.12.2014 |
| 2 | रिक्त | उपाध्यक्ष | 06.12.2014 | 31.03.2015 |

13. पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा का अनुपालन प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन प्रतिवेदन अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं कराया गया।

14. वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद गोपालगंज के द्वारा अंकेक्षण अवधि की वित्तीय अधिदृश्य तैयार नहीं की गई थी। सामान्य रोकड़बही में निम्न त्रुटियों की वजह से वित्तीय अधिदृश्य अंकेक्षण अवधि में भी तैयार नहीं की जा सकी।

14क. i. सामान्य रोकड़ बही संधारण में अनियमितता

लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी सामान्य रोकड़ थी। 01.10.2013 को पहली बार विभिन्न मदों के लिए संचालित बैंक खातों व कोषागार खाता के लिए संधारित पृथक सहायक रोकड़ बहियों व कोषागार खाता रोकड़ बही के 01.10.2013 के शेषों के आधार पर सामान्य रोकड़ बही संधारित की गई थी। इस तिथि के मदवार प्रारम्भिक शेष निम्न विवरणानुसार थे:-

| क्र०सं० | मद का नाम | प्रारंभिक शेष (01.10.2013) | | |
|---------|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| | | सहायक रोकड़बही | बैंक खाता | खाता सं. |
| 1. | 12वॉ वित्त | 11,57,148 | 11,57,148 | 1167 |
| 2. | पि.क्षे.अ.नि. | 89,184 | 89,184 | 1883 |
| 3. | पि.क्षे.अ.नि. | 1,25,59,621 | 1,25,59,621 | 2310101315682 |
| 4. | स्वर्ण जयन्ती श.रो.यो. | 12,42,186 | 12,42,186 | 4820 |
| 5. | उपर्युक्त | 2,98,100 | 2,98,100 | 10682 |
| 6. | रा.ग.ब.वि.कार्य. | 20,66,077 | 20,66,077 | 13471 |
| 7. | स्वर्ण ज. त्रयोदश वित्त | 90,55,277 | 90,55,277 | 31565705791 |
| 8. | कबीर अत्येष्टि | 15,72,664 | 15,72,664 | 469010100001496 |
| 9. | नगर परिषद मद | 34,17,177 | 34,12,177 | 21604486215 |
| 10. | उपर्युक्त | 26,25,096 | 26,25,096 | 469010110011286 |
| 11. | विधायक मद | 3,429 | 3,429 | 1166 |
| 12. | विधान पार्षद मद | 57,010 | 57,010 | 1168 |
| 13. | पी.एल.खाता | 3,18,25,149 | 3,18,25,149 | 8448 |
| 14. | नगर परिषद होल्डिंग मद | 31,80,050 | 31,80,050 | 32686363670 |
| | | 6,91,48,168 | 6,91,43,168 | |

विभिन्न मदों में अक्तूबर 13 व नव. 13 में सभी प्राप्तियों व उनसे भुगतानों के उपरान्त सभी मदों के सहा. रोकड़ बहियों के मासांत शेष सम्बद्ध खाता शेष के समान थे तथा कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा प्राधिकृत थे। जो क्रमशः ₹ 6,43,73,143 व ₹ 6,29,96,687 थे।

माह दिस. 2013 के दौरान प्राप्ति व व्यय जो निम्न विवरणानुसार ये कार्य. पदा. द्वारा प्राधिकृत नहीं थे:-

1241

| मद का नाम | खाता सं. | प्राप्ति ₹ | व्यय ₹ | शेष ₹ |
|-----------------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| नगर परिषद होल्डिंग मद | 63670 | 6,04,438 | | |
| पी.एल.खाता | 8448 | 11,74,467 | 4,87,328 | |
| पि.क्षे.अ.नि. | 5682 | 26,22,400 | | |
| नगर परिषद मद | 6215 | — | 13,42,092 | |
| नगर परिषद मद | 1286 | — | 7,200 | |
| त्रयोदश वित्त | 5791 | — | 2,68,928 | |
| | कुल | 44,01,305 | 21,05,548 | 6,52,92,444.00 |
| प्रा. शेष | | 6,29,96,687 | | |
| | कुल योग | 6,73,97,992 | | |

इस प्रकार प्राप्त अन्तशेष ₹ 6,52,92,444.00 के स्थान पर 31.12.13 को शेष ₹ 6,92,30,099.00 निम्न विवरणानुसार प्राधिकृत रूप से लिया गया।

| | मद का नाम | मदवार शेष ₹ | खाता सं. | खाता शेष ₹ |
|----|-------------------|-------------|----------|------------|
| 1. | द्वादश वित्त | 5,69,858 | 1167 | 5,69,858 |
| 2. | विधायक मद | 3,429 | 1166 | 3,429 |
| 3. | विधान पार्षद मद | 57,010 | 1168 | 57,010 |
| 4. | रा.ग.ब.वि.का. | 20,66,077 | 13471 | 20,66,077 |
| 5. | कबीर अंत्येष्टि | 15,72,664 | 1496 | 15,72,664 |
| 6. | होल्डिंग टैक्स मद | 41,72,031 | 3670 | 41,72,031 |

| | | | | |
|-----|---|-------------|-----------------|-----------------------|
| 7. | त्रयोदश वित्त | 68,48,734 | 5791 | 1,15,96,166 |
| 8. | स्वर्ण जयन्ती | 74,12,336 | 4820 10682 | 12,66,950 3,16,329 |
| 9. | पि.क्षे.अ.नि. | 1,17,20,282 | 5682 1883 | 1,16,31,098 89,184 |
| 10. | चतुर्थ राज्य वित्त | 2,05,10,533 | पी.एल.खाता 8448 | 3,46,59,359 |
| 11. | प्रशासनिक भवन | 38,79,075 | | |
| 12. | परिवहन अन्तर्गत पथ निर्माण जीर्णोद्धार | 53,80,000 | | |
| 13. | पथ निर्माण जीर्णो. | 25,13,063 | | |
| 14. | पार्षद भत्ता | 1,33,200 | | |
| 15. | पेशाकर | 10,41,267 | | |
| 16. | कार्यपालक पदा. वेतन | 1,20,578 | 6215 | 3,81,651 |
| 17. | नगर परिषद | 12,29,962 | 11286 | 8,48,311 |
| | | 6,92,30,099 | | 6,92,30,117 |

दिनांक 31.12.2013 को सामान्य रोकड़बही के अंतशेष में राशि ₹39,37,655/- के अन्तर का कारण अंकक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

दिनांक 31.12.2013 को चतुर्थ राज्य वित्त की राशि में ₹ 2,05,10,533.00 प्राप्ति का स्रोत नहीं बताया गया।

ii. सामान्य रोकड़ बही, कोषागार रोकड़ बही व अन्य सहायक रोकड़ बही में अलग- अलग इन्द्राज

नगर परिषद, गोपालगंज की संधारित सामान्य रोकड़ बही, सहायक रोकड़ बही, कोषागार खाता रोकड़ बही, कोषागार बैंक पासबुक एवं सभी सहायक रोकड़ बही का बैंक पासबुक के अवलोकन

1239

के क्रम में पाया गया कि सभी योजना/मद/शीर्ष का 31.03.15 को अंतिम शेष राशि सहायक रोकड़ बही एवं सामान्य रोकड़ बही में अलग-अलग दर्ज था। दिनांक 31.03.2015 को सामान्य रोकड़ बही के अनुसार कोषागार अंतशेष राशि ₹ 199608274.00 था, जबकि कोषागार रोकड़ बही के अनुसार राशि ₹ 203628368.00 था। सामान्य रोकड़ बही में उपरोक्त दिनांक को ली गई बैंक पासबुक अंतशेष राशि व बैंक पासबुक में दर्ज अंतशेष राशि भी अलग-अलग थे। उपरोक्त तिथि को सहायक रोकड़ बही के अनुसार कोषागार बैंक पासबुक राशि का अंतशेष ₹199608274.00 थी, जबकि कोषागार पासबुक के अनुसार अंतशेष राशि ₹ 19,76,74,928.00 थी। प्रत्येक माह के अन्त में सहायक रोकड़ बही का बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं किया गया था।

उपरोक्त त्रुटियों के अलावे कोषागार पासबुक का सत्यापन कोषागार के द्वारा माह जुलाई 2010 से माह मार्च 2015 तक नहीं किया गया था। अप्रैल 2015 से अंकेक्षण की समाप्ति (12.08.2015) तक कोषागार रोकड़बही में कोई इन्द्राज तक नहीं की गई थी। अधिकांश रोकड़बही का सत्यापन 31.03.2015 तक कार्यपालक पदाधिकारी, नगर नरिषद, गोपालगंज के द्वारा नहीं किया गया था।

सामान्य रोकड़बही की उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर एवं वास्तविक आंकड़ों को दर्ज करके अंकेक्षण अवधि में प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अगले अंकेक्षण में उपरोक्त त्रुटियों को सुधार कर सामान्य रोकड़ बही प्रस्तुत किया जाए। बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। कोषागार पासबुक का सत्यापन कोषागार कार्यालय से कराकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। सभी रोकड़बही का अंतिम शेष का सत्यापन कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा कराकर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

ख. पि.क्षे.अ.नि. की रोकड़बही की त्रुटियाँ

पि.क्षे.अ.नि. की रोकड़बही व पासबुक के मिलान के क्रम में पाया गया कि बैंक द्वारा ब्याज के रूप में खाता में दिनांक 31.07.2014 को दी गई राशि ₹ 193355.00 एवं दिनांक 31.01.2015 को ₹ 162073.00 रोकड़बही में इन्द्राज नहीं की गई थी। इस प्रकार 31.03.2015 को रोकड़बही की राशि ₹3,55,428.00 (₹1,93,355.00 + ₹1,62,073.00) कम थी।

31.03.2015 की रोकड़बही अंतशेष ₹1,00,54,929/-

ब्याज की कम इन्द्राज राशि ₹3,55,428/-

31.03.2015 को वास्तविक रोकड़बही अंतशेष ₹1,04,10,357/-

पासबुक की 31.03.2015 को अंतशेष ₹10449430/-

रोकड़बही व पासबुक का अंतर राशि

₹39073 / -

रोकड़बही में ब्याज की राशि इन्द्राज की जाए व बैंक समाधान विवरणी बनाकर अगले अंकेक्षण दल को प्रस्तुत किया जाए।

ग. कबीर अंत्येष्टि योजना वित्तीय अधिदृश्य

नगर परिषद द्वारा संधारित संचिका कबीर अंत्येष्टि योजना के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013-14 व 2014-15 की आय-व्यय विवरणी निम्नवत है।

(राशि ₹ में)

| विवरण | 2013-14 | 2014-15 |
|-----------------|---------------|---------------|
| प्रारम्भिक शेष | 15,72,644 / - | 15,33,644 / - |
| आय | 5,07,000 / - | 2,61,000 / - |
| अन्य आय व ब्याज | 58,184 / - | 73,743 / - |
| कुल प्राप्ति | 21,37,828 / - | 18,68,387 / - |
| व्यय | 6,04,184 / - | 1,12,188 / - |
| अंतशेष | 15,33,644 / - | 17,56,199 / - |

पासबुक अनुसार 31.03.2015 को बैंक की अंतशेष राशि ₹ 17,56,199.00 था।

घ. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना व त्रयोदश वित्त की संयुक्त रोकड़ बही व संयुक्त खाता

शीर्ष वर्णित सहायक रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2013-14 व 2014-15 के दौरान स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना व त्रयोदश वित्त के संयुक्त प्राप्ति व भुगतान निम्न प्रकार थे:-

| क्रम सं. | विवरण | 2013-14 | 2014-15 |
|----------|---|--|---|
| 1. | प्रा. शेष | 75,39,452.00 | 1,18,32,010.00 |
| 2. | प्राप्ति: अनुदान- 1. स्व.ज.श.रो. 2. त्रयोदश वित्त ब्याज | — 68,86,755.00 4,04,891.00 | 00 00 4,04,091.00 |
| 3. | कुल | 1,48,31,098.00 | 1,22,36,101.00 |
| 4. | भुगतान (क) स्व.ज.श.रो. (ख) त्रयोदश वित्त (ग) अन्य कुल | 19,63,250.00 10,35,698.00 140.00 29,99,088.00 | — 63,56,996.00 200.00 63,57,196.00 |
| 5. | अन्त शेष | 1,18,32,010.000 | 58,78,905.00 |
| 6. | खाता शेष (क) भा. स्टेट बैंक खाता सं. 3156705791 (ख) गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खाता सं. 4820 | 1,13,57,659.00 12,17,829.00 | 58,78,905.00 13,44,569.00 |
| | कुल | 1,25,75,488.00 | 72,23,474.00 |
| 7. | अन्तर | 7,43,478.00 | 13,44,569.00 |

रोकड़ बही के अनुसार त्रयादेश वित्त राशि का विवरण

वर्ष 2013-14 व 2014-15 में व्यय

₹ 73,92,694.00

सामान्य रोकड़ बही अनुसार

| | |
|--|----------------|
| दिनांक 31.03.2015 को शेष | ₹ 13,630.00 |
| कुल - | ₹ 74,06,324.00 |
| घटाव वर्ष 2013-14 व 2014-15 में प्राप्ति | ₹ 6६,86,755.00 |
| 01.04.2013 को प्रा. शेष | ₹ 5,19,569.00 |

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की संधारित एक अन्य सहायक रोकड़ बही के अनुसार 31.3.15 को शेष ₹ 13,44,569.00 था। इस सहायक रोकड़ बही में लेखा परीक्षा अवधि में केवल ब्याज प्राप्ति दर्ज थी।

लेखा परीक्षा में उपलब्ध करायी गयी सामान्य रोकड़ बही, जिसमें नगर परिषद् के समस्त प्राप्ति और भुगतान दर्ज किये गये हैं, में 31.03.15 के सभी सहायक रोकड़ बहियों के शेष तथा संबद्ध खाता शेष प्रविष्ट नहीं किये गये थे। परन्तु इनके 28.02.15 को सामान्य रोकड़ बही में दर्ज शेष के अनुसार उपर्युक्त दो सहायक रोकड़ बही शेष व संबद्ध खाता शेष निम्न प्रकार थे-

| मद शीर्ष | शेष ₹ | खाता सं. | शेष ₹ |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 13वें वित्त | 13,630.00 | भा. स्टेट बैंक 31565705791 | 58,96,628.00 |
| स्व.ज.श.रो.यो. | 75,92,022.00 | ग्रामीण बैंक 4820 | 13,71,122.00 |
| | 76,05,652.00 | | 72,67,750.00 |

28.02.15 के उपरान्त उपर्युक्त दोनों मदों व खातों से सामान्य रोकड़ बही में कोई प्राप्ति व भुगतान दर्ज नहीं था। अतः 31.03.15 के शेष 28.02.15 के शेष समान होंगे।

त्रयोदश वित्त का 01.04.2013 को प्रारंभिक शेष क्या था व सामान्य रोकड़ बही में उपर्युक्त प्रविष्टि के श्रोत अंकेक्षण अवधि में लेखा परीक्ष को नहीं बताया गया।

15. सामान्य अभियुक्ति

लेखा अभिलेखों के संधारण में अति सुधार की आवश्यकता है। प्रमुख अभिलेख जैसे:- मांग एवं वसूली पंजी, अनुदान पंजी, संपत्ति पंजी, बंदोबस्ती पंजी इत्यादि संधारित नहीं थे। वसूली गयी राशियों के नहीं जमा के अनेक मामले दृष्टिगोचर हुए। निकाय के विभिन्न प्रकार के प्राप्तियों की देख-रेख तथा निकाय निधि में सही समय पर जमा सुनिश्चित करने के लिए पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनो में लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार को समर्पित किया जाना चाहिए। योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकार के दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शिका के पालन की आवश्यकता है।

16. लेखा परीक्षा का परिणाम .

1. अंकेक्षण के दौरान वसूली गयी राशि- शून्य
2. अंकेक्षण द्वारा वसूली हेतु सुझाई गयी राशि- ₹21796539.00
3. अंकेक्षण आपति के अधीन रखी गयी राशि- ₹13572587.00

भाग- II खण्ड- क -शून्य

खण्ड- ख

कंडिका सं. 01. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना क्रियान्वयन अनियमितता

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-2/11..... / न.वि. एवं आ. वि. के अन्तर्गत सभी नगर निकायों को प्रेषित ज्ञापांक 927 दिनांक 06.09.2012 के निर्देशानुसार वर्ष 2012-13 में स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के युवक एवं युवतियों को विभिन्न व्यवसाय में प्रशिक्षण दिये जाने से पूर्व इन परिवारों के इच्छुक शहरी युवाओं जिनकी उम्र 18 वर्ष से 35 वर्ष हो से आवेदन प्राप्त कर उन आवेदनों के आधार पर व्यवसाय वार पंजी संधारित किया जाना था। यह प्रशिक्षण पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक-01 में वर्णित 17 व्यवसायों में दिया जाना था। इन व्यवसायों में प्रशिक्षण देने हेतु विभाग द्वारा बनाये गये पैनल में से 63 संस्थाओं की सूची (अनुलग्नक-2) इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए यह निर्देश दिया गया कि इन्हीं संस्थाओं से प्रशिक्षण शुरू कराने से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं पर संस्थाओं की जाँच कर लेंगे

1. संस्था को पूर्व में इस तरह के प्रशिक्षण का अनुभव
2. संस्था के प्रशिक्षकों के संबंधित व्यवसाय में 3 साल का अनुभव
3. संस्था के पास पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता
4. प्रशिक्षणोपरान्त लाभार्थियों को अन्तर्राज्यीय मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की संस्था की क्षमता
5. प्रशिक्षण स्थल कम-से-कम 1500 वर्गफीट की उपलब्धता
6. प्रशिक्षणोपरान्त न्यूनतम 30 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मुहैया कराने की क्षमता

उपर्युक्त पत्र के निर्देश के आलोक में नगर परिषद् गोपालगंज द्वारा सरकार के पत्रांक -2/स्वर्ण06/08-1113/ न०वि०एवं आ०वि० दिनांक 31.10.2012 द्वारा नगर परिषद् को इस उद्देश्य हेतु प्राप्त ₹ 75.00 लाख के आवंटन के विरुद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 2/स्वर्ण-2/11-1010 / न० वि० एवं आ० वि० दिनांक 27.09.2012 की चेतावनी के आलोक में प्रशिक्षण देने वाली सूचीबद्ध 63 संस्थाओं में से किसी की भी उपयुक्त छः बिन्दुओं की जाँच किये बगैर निम्न विवरणानुसार सूचीबद्ध 5 संस्थाओं के साथ ब्यूटीसियन, फैशन डिजाईनिंग व कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर व्यवसायों में प्रशिक्षण हेतु दिनांक 03.10.2012, चेतावनी पत्र में प्रशिक्षण शुरू कराने हेतु

अंकित अंतिम निर्धारित तिथि से पूर्व दिनांक 02.10.2012 को ही संस्थाओं को प्रशिक्षण शुरू करने का आदेश निर्गत कर दिया गया जबकि नगर परिषद में किसी भी व्यवसाय में प्रशिक्षण प्राप्त हेतु न तो कोई आवेदन प्राप्त थे और न ही प्रशिक्षुओं की कोई सूची संघारित थी और न ही संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण देने हेतु निर्धारित शर्तों की पूर्ति का एकरारनामा में उल्लेख था।

| क्र. सं. | प्रशिक्षण देने वाली संस्था का नाम | ट्रेड का नाम | प्रशिक्षुओं की सं. |
|----------|---|---|--------------------|
| 01. | कर्पूरी सेवाश्रम संस्थान, ग्राम पो० वैध भवन कालीवाड़ी वार्ड सं. 06, राजगीर, जिला नालंदा | ब्युटिशियन(अवधि 6माह 4घंटे प्रतिदिन दर ₹ 5000-6000) | 60 |
| 02. | मानव सेवा सदन, ग्रा० कपिया निजामत पो० महाराजगंज जिला सिवान | कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर(6 माह 4 घंटे प्रतिदिन दर ₹ 6000-7000) | 50 |
| 03. | आईकार्ड ग्रा० संग्रामपूर पो० भटगाई तरैया जिला सारण | फैशन डिजाईनिंग | 120 |
| 04. | कृषि एजुकेशन एंड हेल्थ सेवा संस्थान, शिवपुरी पटना | " | 40 |
| 05. | दारोगा प्रसाद राय महिला प्रशिक्षण एवं औद्योगिक केन्द्र ग्रा०पो०-सुतीपुर, जिला-सारण | " (6 माह 4 घंटे प्रतिदिन दर रु. 6000-7000) | 40 |

उपर्युक्त किसी भी संस्था द्वारा पूर्व वर्णित जाँच की बिन्दुओं 1, 2, 4 व 6 की पूर्ति का कोई प्रमाण संलग्न नहीं किया गया था। प्रथम संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिये जाने व उसे भुगतान किये जाने का कोई उल्लेख नहीं था।

इनमें से केवल संस्था क्रमांक 5 द्वारा प्रशिक्षण शुरू किये जाने की निर्धारित तारीख व समायवधि की पूर्व सूचना नगर परिषद को दी गई जो 17.12.12 से प्रातः 10 बजे से 2.00 बजे दिन थी जबकि संस्था क्रमांक 2 से 4 द्वारा यह सूचना तब दी गयी जब प्रशिक्षण समाप्त हो चुकी थी या समाप्त होने के करीब थी जो निर्धारित राशि निर्गत किये जाने के अनुरोध के रूप में थी ओर जिसमें प्रशिक्षण अवधि का कोई उल्लेख नहीं था। इन संस्थाओं (क्र. सं. 2 से 5) द्वारा प्रशिक्षण व टूल किट्स की सम्मिलित राशि ₹9200 (6500+2700) प्रति प्रशिक्षु के मई/जून 2013 में किये गये दावे के विरुद्ध उन संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षुओं व प्रशिक्षकों की उपस्थिति पंजी की संलग्नता, प्रशिक्षकों एवं कार्यालय कर्मियों को किये गये भुगतान प्राप्ति साक्ष्य, स्थल किराया भुगतान, टूल-किट्स क्रय अभिश्रव की संलग्नता के बिना ही प्रशिक्षण हेतु निर्धारित प्रति प्रशिक्षु ₹ 6500.00 की 80 प्रतिशत राशि के साथ-साथ 5 प्रतिशत मूल्य वद्धित कर की कटौती कर प्रति प्रशिक्षु टूल-किट्स की राशि ₹ 2700.00 इस प्रमाण पत्र के साथ कि मई माह में संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कर दिया गया

1233

हैं जबकि संस्था क्रमांक 5 की पूर्णता 17.06.2013 को निर्धारित थी दिनांक 10.06.2013 को निम्न विवरणानुसार अनियमित रूप से भुगतान कर दिया गया:-

| क्र. सं. | संस्था का संक्षिप्त नाम | प्रशिक्षुओं सं. | दर प्रति प्रशिक्षु | 80: राशि ₹ | भुगतान अमि. सं. चेक सं. / तिथि |
|----------|---------------------------------|-----------------|--------------------|------------|--------------------------------|
| 01. | कृषि एजुकेशन----- टूल-किट्स | 40 | ₹ 6500 | 2,08,000 | 01 / 000401 |
| | | 40 | ₹ 2700का 95% | 1,02,600 | 10.06.13 02 / 000402 |
| 02. | दारोगा प्रसाद----- टूल-किट्स | 40 | ₹ 6500 | 2,08,000 | 03 / 000403 |
| | | 40 | ₹ 2700का 95% | 1,02,600 | 04 / 000404 |
| 03. | मानव सेवाश्रम----- टूल-किट्स | 50 | ₹ 6500 | 2,60,000 | 05 / 000405 |
| | | 50 | ₹2700का 95% | 1,28,250 | 06 / 000406 |
| 04. | ई-कार्ड----- टूल-किट्स | 120 | ₹ 6500 | 6,24,000 | 07 / 000407 |
| | | 120 | ₹ 2700का 95% | 3,07,800 | 08 / 000408 |
| | | | | 19,41,250 | |

लेखापरीक्षा टिप्पणी

- व्यवसायवार प्रशिक्षुओं की संधारित की गयी पंजी मांग किए जाने पर लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। पंजी संधारित न होने की अवस्था में प्रशिक्षुओं की संख्या निर्धारित किए जाने का साधन लेखा परीक्षा को नहीं बताया गया।
- टूल-किट्स के लिए ₹ 2700.00 प्रति प्रशिक्षु निर्धारण का आधार लेखा परीक्षा में नहीं बताया गया।
- संस्थाओं के चयन हेतु आवश्यक छः महत्वपूर्ण बिन्दुओं के साथ अन्य बिन्दुओं की पूर्ति का जाँच प्रतिवेदन लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया।
- संस्था क्रमांक सं0 1 द्वारा एकरारनामा के बावजूद प्रशिक्षण कार्य सम्पन्नता का उल्लेख न होने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
- संस्था द्वारा दिए गये प्रशिक्षण सम्बंधी किसी साक्ष्य की प्रस्तुति व किए गए व्यय विषयक अभिश्रवों की उपलब्धता के बगैर भुगतान किये जाने का कारण लेखा परीक्षा में स्पष्ट नहीं किया गया।
- संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षित युवाओं में से रोजगार उपलब्ध कराये गये 30 प्रतिशत युवाओं की सूची लेखा परीक्षा में उपलब्ध नहीं करायी गई।

उपर्युक्त बिन्दुओं का कोई जवाब न दिए जाने तथा भुगतान संबंधी अभिश्रव प्रस्तुत नहीं किए जाने के मद्देनजर किया गया सम्पूर्ण व्यय ₹ 1941250.00 अनियमित है तथा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका सं० 02. ठेका सफाई कर्मों पर अनियमित भुगतान

नगर परिषद गोपालगंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी स्वीकृत व कार्यरत बलों की सूची के अनुसार विभिन्न पदों के लिये 59 स्वीकृत बलों के विरुद्ध—36 स्थायी कर्मों कार्यरत थे तथा 23 विभिन्न कोटि की रिक्तियों के विरुद्ध— लेखा परीक्षा अवधि वर्ष 2013-14 व 2014-15 में सिर्फ सफाई कर्मों 100 (सौ) से अधिक ठेके पर अनियमित रूप से कार्यरत थे जबकि इस कोटि की 20 स्वीकृत पदों के विरुद्ध— केवल 4 रिक्तियाँ थी। इन कर्मियों से हर माह औसत 22 दिन कार्य कराये गये और इन्हें कभी ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के नाम पर त्रयोदश वित्त मद या फिर स्वयं श्रोत से नियमित रूप से भुगतान किये गये। यह भुगतान केवल सफाई जमादार अथवा स्वयं मजदूरों के ठेकेदार के उन ठेका मजदूरों के द्वारा किये गये कुल कार्य दिवसों की संख्या संबंधी प्रमाण पत्र के आलोक में बिना मस्टर रॉल समर्पण के किये गये। यह भी उल्लेखनीय है कि कई स्थायी सफाई कर्मियों सहित ठेका सफाई कर्मियों द्वारा स्वयं अनुरोध किये जाने पर कि वे अमुक माह की पहली तारीख से अंतिम तारीख तक राज्य सरकार के अमुक अधिकारी मसलन जिलाधिकारी, जिला न्यायाधीश, आरक्षी अधीक्षक इत्यादि के कार्यालयों या आवासों के सफाई के दायित्व में लगाये गये थे, जो नगर परिषद के दायित्व से भिन्न है, उन्हें अमुक माह के लिये पारिश्रमिक का भुगतान किया जाय अथवा उपर्युक्त अधिकारियों के कार्यालयों के निर्देश पर कि अमुक कर्मों/ठेका कर्मों उन कार्यालयों/पदाधिकारी आवासों के सफाई कार्य में कार्यरत थे के आलोक में वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया गया। जो संलग्न विस्तृत विवरण III से स्पष्ट है।

लेखा परीक्षा टिप्पणी

1. सफाई कर्मों के केवल 4 (चार) रिक्त पदों के विरुद्ध—100 (सौ) से भी अधिक ठेका सफाई कर्मियों से वर्षों से नियमित रूप से प्रत्येक माह लगातार कार्य लिये जाने व उन्हें भुगतान किये जाने का प्राधिकार लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किया गया।
2. श्री नगीना राऊत, स्थायी सफाई कर्मों के नगर परिषद, गोपालगंज के दायित्व, नगर सफाई कार्य सौंपे जाने लायक कार्य न रहने के फलस्वरूप ही उन्हें नगर निकाय दायित्व के ईतर आरक्षी अधीक्षक, गोपालगंज के आवास की नियमित सफाई दायित्व सौंपा जाना प्रमाणित होता है, के बावजूद ठेका सफाई कर्मियों से सफाई कार्य कराये जाने का औचित्य नहीं बताया गया। श्री राऊत के अतिरिक्त स्थाई/ठेका कर्मियों की संख्या/सूची, जो अपनी सेवा अन्यत्र प्रदान करते हैं और जिन्हें वेतन/पारिश्रमिक भुगतान नगर परिषद द्वारा किया जा रहा हो, की विवरणी अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं कराई गई।

123)

3. ऐसी सेवा यदि प्राधिकृत रूप से प्रदान की गयी हो तो प्राधिकार पत्र उपलब्ध कराने के साथ संबंधित कार्यालयों से कर्मियों के वेतन/पारिश्रमिक की प्रतिपूर्ति हेतु भेजे गये माँग पत्र व उसके विरुद्ध प्रतिपूर्ति की अद्यतन स्थिति का साक्ष्य एवं सेवा प्रदान किये गये वर्षों की संख्या को अंकक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।
4. ठेका सफाई कर्मियों की उपस्थिति से संबंध मास्टर रॉल अंकक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।
5. ठेकेदारों के भुगतान से संबंध केवल आंशिक अभिश्रव लेखा परीक्षा में उपलब्ध कराया गया।
6. संलग्न विवरणी I (प्रारूप) में दर्शित नव. 2014 की तरह वर्ष 2013-2014 व 2014-2015 में विवरण II में भुगतान की राशियों का विस्तृत ब्यौरा विवरणी I के प्रारूप में लेखा परीक्षा में मांगी गई थी को अंकक्षण में उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त अंकक्षण टिप्पणी के आलोक में वित्तीय वर्ष 2013-14 व 2014-15 में ठेका व अनुबंध कर्मियों पर व्यय की गई सम्पूर्ण राशि ₹ 11354900.00 को आपत्ति के अधिन रखी जाती है।

कडिका सं0 03. धृति व विविध कर

क. वसूली की राशि जमा नहीं ₹ 30,510.00

श्री दीनानाथ प्रसाद कर संग्राहक के फॉर्म हाल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि गृह स्वामी से वसूली की गई राशि ₹ 30,510.00 (₹4,175.00+₹26,335.00) नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था। विस्तृत विवरणी निम्नवत है:-

| क्र.स. | दिनांक | रसीद नं. | वसूली राशि |
|--------|----------|----------|---------------|
| 01. | 09.03.15 | 20139 | 1500.00 |
| 02. | 23.05.15 | 20140 | 1525.00 |
| 03. | 27.05.15 | 20141 | 100.00 |
| 04. | 27.05.15 | 20142 | 270.00 |
| 05. | 26.06.15 | 20143 | 300.00 |
| 06. | 30.07.15 | 20144 | 480.00 |
| | | | कुल ₹4,175.00 |

| क्र.सं. | दिनांक. | रसीद सं. | वसूली राशि |
|---------|----------|----------|------------|
| 01. | 01.05.15 | 20769 | 200.00 |
| 02. | 02.06.15 | 20770 | 1000.00 |
| 03. | 08.05.15 | 20771 | 210.00 |
| 04. | 09.05.15 | 20772 | 400.00 |
| 05. | 13.05.15 | 20773 | 8000.00 |
| 06. | 21.05.15 | 20774 | 780.00 |
| 07. | 21.05.15 | 20775 | 500.00 |
| 08. | 03.06.15 | 20776 | 930.00 |
| 09. | 03.06.15 | 20777 | 1200.00 |
| 10. | 03.06.15 | 20778 | 400.00 |
| 11. | 03.06.15 | 20779 | 200.00 |
| 12. | 08.06.15 | 20780 | 450.00 |
| 13. | 11.06.15 | 20781 | 105.00 |
| 14. | 11.06.15 | 20782 | 525.00 |
| 15. | 11.06.15 | 20783 | 525.00 |
| 16. | 16.06.15 | 20784 | 1500.00 |
| 17. | 16.06.15 | 20785 | 500.00 |
| 18. | 19.06.15 | 20786 | 2400.00 |
| 19. | 23.06.15 | 20787 | 200.00 |

1929

| | | | |
|-----|----------|-------|-----------|
| 20. | 29.06.15 | 20788 | 1040.00 |
| 21. | — | 20789 | 720.00 |
| 22. | 12.07.15 | 20790 | 750.00 |
| 23. | — | 20791 | 400.00 |
| 24. | — | 20792 | 400.00 |
| 25. | — | 20793 | 3000.00 |
| | | कुल | 26,335.00 |

श्री दीनानाथ प्रसाद कर संग्राहक से राशि ₹ 30,510.00 (₹4,175.00+₹26,335.00) की वसूली कर नगर परिषद निधि में जमा किया जाए एवं अगले लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।

ख. वसूली राशि जमा नहीं/कम जमा

श्री विरेन्द्र सिंह कर संग्राहक के फॉर्म होल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच के क्रम में पाया गया कि गृह स्वामी से वसूली गई राशि का इंड्राज दैनिक वसूली पंजी में किया गया था। जिसका विवरण निम्न प्रकार है:-

राशि ₹ में

| क्रम सं. | रसीद सं. | दिनांक | वसूली राशि | जमा राशि | नहीं जमा |
|----------|----------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|
| 01. | 19901 से 19967 | 30.05.15 से 23.07.15 | 25409.00 | — | 25,409.00 |
| 02. | 20001 से 20081 | 03.09.13 से 09.07.15 | 88928.00 | 50,000.00 | 38,928.00 |
| 03. | 16268 से 16300 | | 34,107.00 | — | 34,107.00 |
| | | — | 1,48,444.00 | 50,000.00 | 98444.00 |

उपरोक्त विवरणी के अनुसार ₹ 98444.00 श्री विरेन्द्र सिंह के द्वारा राशि वसूली गई थी। उक्त राशि नगर परिषद कोष में जमा कराकर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाए।

ग. धृति कर की वसूली राशि जमा नहीं राशि ₹ 415205.00 ✓

कर संग्राहक श्री रहमतुल्लाह के द्वारा फॉर्म होल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद की राशि गृह स्वामी से वसूली की गई थी एवं उसका इंड्राज

दैनिक वसूली पंजी में किया गया था लेकिन यह राशि नगर परिषद् निधि में जमा नहीं किया गया था।

राशि ₹ में

| क्र. संत्र | दिनांक | रसीद सं. | वसूली गई राशि | नहीं जमा राशि |
|------------|---------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| 01. | 18.02.13 / 17.09.13 | 16101से16200 | 43355.00 | 43355.00 |
| 02. | 14.02.13 / 28.11.13 | 16001से16100 | 73684.00 | 73684.00 |
| 03. | 06.05.13 / 05.04.14 | 19201से19272 | 67200.00 | 67200.00 |
| 04. | 30.04.13 / 10.06.14 | 19101से19179 | 91,840.00 | 91,840.00 |
| 05. | 21.03.14 / 24.07.15 | 19301से19399 | 88,262.00 | 88,262.00 |
| 06. | 19.09.13 / 11.01.15 | 19401से19458 | 50864.00 | 50864.00 |
| | | कुल | 4,15,205.00 | 4,15,205.00 |

अतः राशि ₹ 4,15,205.00 को श्री रहमतुल्लाह से शीघ्र वसूली कर नगर परिषद् निधि में जमा कर अगले अंकक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

घ. वसूली राशि जमा नहीं

कर संग्राहक श्री रामनरेश भगत के द्वारा प्रस्तुत किए गए फार्म होल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद की राशि गृह स्वामी से वसूली की गई थी एवं उसका इंड्राज दैनिक वसूली पंजी में किया गया था। लेकिन यह राशि नगर परिषद् निधि में जमा नहीं किया गया था।

| क्र. सं. | रसीद सं. | दिनांक | वसूली राशि | नहीं जमा राशि |
|----------|--------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01. | 15652से15700 | 09.02.13 / 05.03.14 | 32602.00 | 32602.00 |
| 02. | 15778से15800 | 09.02.13 / 16.08.13 | 36585.00 | 36585.00 |
| 03. | 17338से17400 | 25.02.13 / 17.03.15 | 68,479.00 | 68,479.00 |
| 04. | 20601से20651 | 22.04.14 / 27.07.15 | 53203.00 | 53203.00 |
| | | | ₹ 1,90,869.00 | ₹ 1,90,869.00 |

उपरोक्त विवरणीत राशि ₹ 1,90,869.00 श्री रामनरेश भगत से वसूली कर नगर परिषद निधि में शीघ्र जमा कर साक्ष्य अगले अंकक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

च. विविध रसीद से प्राप्त राशि ₹ 71346.00 जमा नहीं

कर संग्राहकर्ता द्वारा विविध रसीद से वसूली गई राशि नाजीर श्री आनंद किशोर ओझा के द्वारा प्राप्त विविध रसीद द्वारा ही किया गया था। किन्तु प्राप्त राशि ₹ 71,346.00 जमा नहीं किया गया था। विवरणी निम्नवत है:-

| क्रम सं. | दिनांक | विविध रसीद सं. | विविध रसीद से प्राप्त राशि जमा नहीं |
|----------|----------|----------------|-------------------------------------|
| 01. | 02.04.13 | 8414 | 9716.00 |
| 02. | 29.01.15 | 9495 | 13,210.00 |
| 03. | 23.12.14 | 9426 | 16,600.00 |
| 04. | 09.01.15 | 9454 | 31,820.00 |
| | | कुल | 71,346.00 |

विविध रसीद से प्राप्त राशि ₹ 71,346.00 नगर परिषद निधि में शीघ्र जमा कर अगले अंकक्षण में साक्ष्य प्रस्तुत करें।

छ. वसूली राशि जमा नहीं ₹ 37,005.00

कर संग्राहक श्री धर्मनाथ झा के होल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद से वसूली की गयी थी किन्तु नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था।

| क्रम सं. | रसीद सं. | दिनांक | वसूली राशि | नहीं जमा राशि |
|----------|----------------|-------------------|------------|---------------|
| 01. | 17168 से 17180 | 08.08.13 4.12.13 | 7680.00 | 7680.00 |
| 02. | 20501 से 20524 | 11.02.14 10.07.15 | 13,885.00 | 13,885.00 |
| 03. | 17012 से 17054 | 21.05.13 13.07.15 | 15,440.00 | 15,440.00 |
| | | कुल- | 37,005.00 | 37,005.00 |

उपरोक्त विवरणी राशि ₹37,005.00 श्री धर्मनाथ भगत से वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा कर अगले अंकेक्षण में दिखलाया जाए।

ज. वसूली राशि जमा नहीं

श्री बलिराम सिंह कर संग्राहक के द्वारा प्रस्तुत किए गए फॉर्म हाल्डिंग रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद की राशि गृह स्वामी से वसूली की गई थी एवं उसका इंड्राज दैनिक वसूली पंजी में किया गया लेकिन यह राशि नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था। विवरणी निम्नवत है:-

| क्रम सं. | दिनांक | रसीद सं. | वसूली राशि | नहीं जमा राशि |
|----------|-------------------|----------------|-------------|---------------|
| 01. | 23.03.13-30.07.13 | 1359 से 13600 | 6300.00 | 6300.00 |
| 02. | 10.10.13-22.01.15 | 14236 से 14276 | 23,600.00 | 23,600.00 |
| 03. | 30.03.13-25.05.13 | 15572 से 15595 | 17,958.00 | 17,958.00 |
| 04. | 27.02.13-30.06.14 | 16501 से 16564 | 30,022.00 | 30,022.00 |
| 05. | 06.01.14-27.02.15 | 16601 16627 | 5940.00 | 5940.00 |
| 06. | 15.04.13-10.10.13 | 16776 से 16800 | 26,510.00 | 26,510.00 |
| 07. | 16.04.13-19.08.13 | 16888 से 16900 | 8160.00 | 8160.00 |
| 08. | 15.04.13-24.03.14 | 16957 से 17000 | 29,136.00 | 29,136.00 |
| | | कुल | 1,47,626.00 | 1,47,626.00 |

श्री बलिराम सिंह से राशि ₹ 1,47,626.00 वसूल कर नगर परिषद निधि में जमा कर साक्ष्य अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत करें।

झ. विविध रसीद से वसूली गई राशि जमा नहीं ₹ 34,335.00

कर संग्राहक श्री दीनानाथ प्रसाद के द्वारा फॉर्म विविध रसीद तथा दैनिक वसूली पंजी के जाँच क्रम में पाया गया कि निम्नलिखित रसीद से राशि ₹ 34,335.00 वसूली की गई थी एवं उसका

1225

इंद्राज दैनिक वसूली पंजी में किया गया था। लेकिन यह राशि नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया था। विवरणी निम्नवत है:-

| क्रम सं. | रसीद सं. | दिनांक | वसूली राशि | नहीं जमा राशि |
|----------|----------|----------|------------|---------------|
| 01. | 9738 | 28.05.15 | 1800.00 | 1800.00 |
| 02. | 9739 | 13.05.15 | 1800.00 | 1800.00 |
| 03. | 9740 | 14.06.15 | 3300.00 | 3300.00 |
| 04. | 9741 | 27.06.15 | 3600.00 | 3600.00 |
| 05. | 9742 | 28.06.15 | 10,800.00 | 10,800.00 |
| 06. | 9743 | 09.07.25 | 712.00 | 712.00 |
| 07. | 9744 | 09.07.15 | 690.00 | 690.00 |
| 08. | 9745 | 09.07.15 | 698.00 | 698.00 |
| 09. | 9746 | 09.07.15 | 110.00 | 110.00 |
| 10. | 9747 | | 1700.00 | 1700.00 |
| 11. | 9748 | 09.07.15 | 1670.00 | 1670.00 |
| 12. | 9749 | 09.07.15 | 1200.00 | 1200.00 |
| 13. | 9750 | 10.07.15 | 400.00 | 400.00 |
| 14. | 9751 | 10.07.15 | 100.00 | 100.00 |
| 15. | 9752 | 10.07.15 | 3755.00 | 3755.00 |
| 16. | 9753 | - | 400.00 | 400.00 |
| 17. | 9754 | 25.07.15 | 900.00 | 900.00 |
| 18. | 9755 | 25.07.15 | 700.00 | 700.00 |
| | | | ₹34,335.00 | ₹34,335.00 |

उपरोक्त विवरणीत राशि ₹ 34335.00 को शीघ्र वसूली कर नगर परिषद कोष में जमा कराया जाए।

ट. विविध रसीद से वसूली राशि रोकड़ बही में इंद्राज नहीं एवं बैंक पासबुक में जमा नहीं

श्री उमेश दुमर सिंह नाजीर के द्वारा कर संग्राहक श्री दीनानाथ प्रसाद से विभिन्न विविध रसीद से प्राप्त राशि को नगर परिषद निधि में जमा नहीं किया गया।